

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 463]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 अक्टूबर 2011—आश्विन 25, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. एफ 6 (बी) 11-2008-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 12-क में, पार्श्व शीर्षक में, शब्द "सीधी भर्ती" के स्थान पर, शब्द "चयन" स्थापित किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. एफ ए 6 (बी) 11-2008-1-पांच (77).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 6 (बी) 11-2008-1-पांच (77), दिनांक 17 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th October 2011

F-A-6 (B) 11-2008-I/V (77).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Commercial Tax Department Sub-ordinate Taxation Service (Class III-Executive) Recruitment Rules, 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 12-A, in the marginal heading, for the words "Direct recruitment", the word "Selection" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl. Secy.

925